न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गीतेश श्री मालवीय, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 6 / 2023 (उदयपुर आर्डर)

1. मोहनलाल पिता भगवान जी जाट,निवासी मावली,तहसील मावली,जिला उदयपुर
2. माधवलाल पिता भगवान जी जाट,निवासी मावली,तहसील मावली,जिला उदयपुर
3. हमेरा पिता गणेशजी जाट,निवासी मावली,तहसील मावली,जिला उदयपुर(राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. विजय कुमार पिता चतरलाल जी बडाला, निवासी 75, अरिहन्त नगर, कालका माता मार्ग, पहाड़ा, उदयपुर (राज.)
2. रणजीत कुमार पिता चतरलाल जी बडाला, निवासी 76, अरिहन्त नगर, कालका माता मार्ग, पहाड़ा, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्ड अधिकारी,मावली दिनांक 07—02—2023 प्रकरणसंख्या97 / 2017

———::———

उपस्थित :— 1—श्री खेमराज डांगी / ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2—श्री नरेश जणवा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व2

3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णयदिनांक25—07—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा मावली, तहसील मावली में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 2159, 2161, 2162 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 2472 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा,परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 1538, 1579 कुल किता 2 रकबा 6 बीघा,परिशिष्ट ''घ'' की आराजी नंबर 1585 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा,परिशिष्ट ''ङ'' की आराजी नंबर 1527, 1530, 1533, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 कुल किता 8 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा,परिशिष्ट ''च'' की आराजी नंबर 2157, 2158 कुल किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

2रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा,परिशिष्ट ''छ'' की आराजी नंबर 1526 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं परिशिष्ट ''5'' की आराजी नंबर 2140, 2141 कुल किता 2 रकबा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार मौजा गाडरियावास, तहसील मावली में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 889, 1001 कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 1058, 1059 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 12 भूमि स्थित है।परिशिष्ट ''अ'' व 'ब'' में अंकित आराजियात के साबिक आराजी नंबर 134/2, 478/2, 570 व 571 थे।

प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 25 के खानदान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष नवला (नोला) पिता भेरा जाट थे, जिसके 5 पुत्र गोदा, परथा, गणेश, रूपा व खेमा हुए। गोदा के एक पुत्र चतरभुज हुआ, परथा के दो पुत्र कन्ना व मोती हुए, गणेश के तीन पुत्र भगवान, नारायण व हमेरा हुए जिसमें नारायण गोद चला गया, रूपा के दो पुत्र काना व नारायण हुए तथा खेमा के तीन पुत्र मांगीलाल, परसराम, चुन्नीलाल व तीन पुत्री मगनीबाई, हंसुबाई व लक्ष्मीबाई हुई। चतरभुज की पत्नी धापूबाई व दो पुत्र नाथु व भमरू हुए। कन्ना की पत्नी केसर बाई व तीन पुत्र मांगीलाल, कजोड़ व श्यामलाल हुए। मोती की पत्नी जीवुबाई व दो पुत्र गोकुल, प्रेमप्रकाश तथा दो पुत्रियां कमलाबाई व रेखाबाई हुई। भगवान के दो पुत्र मोहनलाल व माधवलाल हुए। काना की पत्नी उदीबाई व दो पुत्र छोगालाल, हीरालाल तथा तीन पुत्रियां बदामीबाई, तुलसीबाई व वरदीबाई हुई। उक्त सजरे में बताये गये नवला, गोदा, परथा, गणेश, रूपा, खेमा, चतरभुज, कना, मोती व काना का स्वर्गवास हो चुका है तथा सजरे में वर्णित गणेश के वारिस प्रार्थीगण है, परथा के वारिस विपक्षी संख्या 1 से 9 हैं, रूपा के वारिस विपक्षी संख्या 10 से 16 हैं, खेमा के वारिस विपक्षी संख्या 17 से 22 तथा गोदा के वारिस विपक्षी संख्या 23 से 25 हैं।

नवला उर्फ नोला की मृत्यु के बाद उसके पांचों पुत्र गोदा, परथा, गणेश, रूपा व खेमा का बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित होकर प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिल चले आ रहे हैं, किन्तु विरासत के नामान्तरकरण में गणेश का नाम अंकित नहीं हुआ, जबकि गणेश जी के 1/5 हिस्से पर प्रार्थीगण आज भी काबिज चले आ रहे हैं एवं गणेश की आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/10 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 3 का 1/10 हिस्सा निहित है व इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आराजी नंबर 1533 पर प्रार्थी मोहनलाल ने करीब 12–13 वर्ष पूर्व मकान बनवाया जिसमें वह अपने परिवार के साथ निवास करता है तथा आराजी नंबर 1526 पर प्रार्थी माधवलाल का मकान बना हुआ है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें प्रार्थी निवास करता है तथा अन्य आराजियात पर हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु पक्षकार के मध्य अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है तथा बिना विभाजन के विपक्षीगण को उक्त आराजियात के किसी हिस्से को विक्रय हस्तान्तरण करने व निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु जमीन की कीमतें बढ़ जाने से उनके मन में खोट आ जाने से विवादित भूमि उनके नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण का कब्जा हटाने की धमकी देते हैं। विपक्षी संख्या 23 से 25 का उक्त आराजियात में 1/5 हिस्सा है, किन्तु उनके द्वारा अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए विपक्षी संख्या 26 से 28 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया हैं, जो प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। विपक्षी संख्या 26 से 28 अजनवी क्रेता है, जिससे उन्हें बिना विभाजन के कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24–01–2023 को प्रकरण में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को आगामी आदेश दिनांक 28–03–2023 तक वादग्रस्त आराजियात के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, किन्तु दिनांक 07–02–2023 को पुनः आदेश जारी करते हुए आराजी नंबर 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 कुल किता 6 रकबा 1.6834 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1538 रकबा 0.4452 हैक्टर भूमि के संबंध में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हटाये जाने का आदेश दिया तथा शेष आराजियात पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को यथावत रखा। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 07–02–2023 से होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–02–2023 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से वकील श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करअभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस मानते हुए उनके पक्ष में दिनांक 24–01–2023 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की व तत्पश्चात इस पत्रावली पर दिनांक 28–03–2023 की पेशी नियत

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

की गयी, किन्तु इससे पूर्व ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 02–02–2023 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पेशी दिनांक 07–02–2023 को नियत की गयी, जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता ने नजदीक पेशी हेतु निवेदन किया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पेशी नहीं दी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का बिना जवाब प्रस्तुत हुए ही दिनांक 24–01–2023 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को बिना किसी कारण बताये आराजी नंबर 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1538 के संबंध में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त कर दी तथा शेष आराजियात पर स्थगन आदेश पूर्वानुसार जारी रखा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश मनमकसूद तरीके से दिया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने दौराने दावा भूमि क्रय की है, इसलिए उन पर भी स्थगन आदेश लागू होता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 पुनः विवादित भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 24–01–2023 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को यथावत रखते हुए दिनांक 07–02–2023 को आराजी नंबर 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 व 1538 के संबंध में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में 29 विपक्षीगण थे, जबकि अपील में 2 रेस्पोन्डेन्ट ही बनाये हैं। अंतरिम आदेश फाईनल आदेश नहीं होता है इसलिए यदि अपीलान्ट को कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेउभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों की बहस सुनकर ने दिनांक 24–01–2023 को प्रकरण में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को आगामी आदेश दिनांक 28–03–2023 तक वादग्रस्त आराजियात के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, किन्तु विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण दिनांक 28–03–2023 से पूर्व ही दिनांक 07–02–2023 को पत्रावली रखकरतथा उभयपक्षों की बहस सुनकर''आराजी नंबर 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 कुल किता 6 रकबा [illegible]6834 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1538 रकबा0.4452 हैक्टर भूमि [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा हटाये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिया तथा शेष आराजियात पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को यथावत रखा।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है, क्योंकि पक्षकारों के मध्य मूलवाद अभी विचाराधीन है, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर ही इस बात का विनिश्चय हो पायेगा कि विवादित आराजियात मौरूसी होकर नवला उर्फ नोला पिता भेरा जाट के समय की है अथवा नहीं ?मूलदावे में यदि विवादित आराजियात मौरूसी साबित हो जाती है तथा आराजी नंबर 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1538 के संबंध में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं रहती है तो विपक्षीगण द्वारा विवादित आराजियात अन्य व्यक्तियों को विक्रय किये जाने की संभावना रहती है और यदि ऐसा होता है तो अपीलान्ट/प्रार्थीगण भारी क्षति होगी एवं उनके मूलदावे का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में हम शीघ्र सुनवाई कर अन्तिम निर्णय जारी किया जाना उचित समझते हैं।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07–01–2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करते हुए अंतिम निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–08–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गीतेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested